देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर– 452 001
दिनांक : 22 OCT 2026

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2026/1925

//अधिसूचना//

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सत्र 2027-28 में केवल विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.कॉम.एलएल.बी.(ऑनर्स)/बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) /एलएल.एम. पाठ्यक्रमों की नवीन सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि/शोध केन्द्र प्रारम्भ करने तथा पूर्व वर्षो से संचालित विधि पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल तथा बी.सी.आई. नई दिल्ली की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेज (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क, 18% जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र.	विषय	विश्वविद्यालय में **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	महाविद्यालयों में केवल विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त पाठ्यक्रमों की सत्र 2027–28 में नवीन अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि/शोध केन्द्र मान्यता प्राप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की तिथि।	30 अक्टूबर 2026
2	25 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित (with late fees) आवेदन करने की अंतिम तिथि	15 नवम्बर 2026

महाविद्यालय **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने के पश्चात् तीन दिवस में संलग्न चेक लिस्ट अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेजों मय संलग्नक को प्राचार्य (कोड–28)/संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से पदमुद्रा (सील) सहित सत्यापित करवाकर व्यवस्थित फाईल/फोल्डर में क्रमानुसार फ्लेग लगाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता/नवीनीकरण एवं बी.सी.आई. की अनुमति प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था की होगी एवं ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जावेगी। इसमें विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा नहीं करने पर नवीन सम्बद्धता/पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/निरंतरता प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।

नोटः–1. महाविद्यालय शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि का प्रतिक्षा न करें, यदि महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि पर बैंकिंग, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन, सर्वरडाउन व अन्य किसी कारणवश शुल्क अगर निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाता तो महाविद्यालय को विलम्ब शुल्क के साथ ही भूगतान करना होगा, उनके विलम्ब शुल्क माफ करने के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डी.डी. स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. महाविद्यालय द्वारा व्यवस्थित फाईल/फोल्डर में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में महाविद्यालय के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2026/1925 दिनांक : 22 OCT 2026

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य/संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालय, जिला–इन्दौर, धार व झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर सर्व संबंधितों के सूचनार्थ वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. एम.पी.ऑनलाईन प्रभारी, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. सम्पादक, दैनिक _____ की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

डी.सी.डी.सी.

विधि पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता/नवीनीकरण/वार्षिक निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि के आवेदन हेतु दिशा–निर्देश

1. महाविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता–नवीनीकरण/निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि के लिये पृथक–पृथक आवेदन किया जावे।
2. महाविद्यालय सम्पूर्ण आवेदन पत्र (PART-A) मय संलग्नको/दस्तावेजों (संलग्न सूची अनुसार) को प्राचार्य/संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित साफ/पठनीय स्कैन कर academic.section.davv@gmail.com पर ई–मेल करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त दस्तावेजों को व्यवस्थित फाईल/फोल्डर में तालिकानुसार फ्लेग लगाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्यापित नहीं होने की स्थिति में महाविद्यालय के आवेदन पर विचार नहीं किया जानेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय/संस्था की होगी।
4. महाविद्यालय शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि का प्रतिक्षा न करें, यदि महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि पर बैंकिंग, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन, सर्वरडाउन व अन्य किसी कारणवश शुल्क अगर निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाता तो महाविद्यालय को विलम्ब शुल्क के साथ ही भूगतान करना होगा, उनके विलम्ब शुल्क माफ करने के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. शासकीय महाविद्यालय एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से शुल्क जमा करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन प्रभारी, आई.आई.पी.एस., दे.अ.वि.वि. इन्दौर से सम्पर्क करें। डी.डी. स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
6. नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावें जब कि महाविद्यालय को राज्य शासन से अनुमति, बी.सी.आई., नई दिल्ली की अनुमति एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायें। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी, ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।
7. नवीन आवेदन करने वाले महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय परिनियम क्र. 28 की कांडिका 3(i) के अनुसार एण्डोमेंट फंड की राशि रूपये 10 लाख की एफ.डी. विश्वविद्यालय मे जमा करने के उपरांत ही संबद्धता पत्र जारी किए जाएंगे।
8. नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों को प्रथम वर्ष में प्रवेश न होने की स्थिति में उसी सत्र में शीघ्र शून्य वर्ष हेतु आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने वाले समस्त दस्तावेजों को सत्यापित कर Scanned Pdf (बिन्दुवार Pdf Files) संस्था की आधिकारिक ईमेल–आई.डी. से academic.section.davv@gmail.com पर ईमेल भी करें।

महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि के आवेदन हेतु निम्नानुसार क्रम में दस्तावेज संस्था के सचिव से सत्यापित करवाकर क्रमानुसार फ्लैग लगाकर फाईल/फोल्डर में प्रस्तुत करना आवश्यक है :–

1. कवरिंग लेटर
2. प्रपत्र–1
3. पार्ट–ए
4. एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा किये गये आवेदन एवं शुल्क रसीद की प्रति।
5. कोर्स से सम्बंधित रेग्युलेटरी बॉडी एवं राज्य शासन की अनुमतियाँ।
6. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विगत वर्षों के स्थाई–अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि पत्र।
7. महाविद्यालय को विगत वर्ष में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई हो तो शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन।
8. महाविद्यालय में कॉलेज कोड–28 में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों की सत्यापित सूची।
9. गैर–शिक्षण कर्मचारियों की सूची.
10. NAAC Accreditation की जानकारी एवं संबंधित प्रमाणपत्र।
11. 100/– रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
12. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा एण्डोंमेंट फण्ड की जानकारी एवं एफ.डी. छायाप्रति ।
13. AISHE की जानकारी एवं संबंधित प्रमाणपत्र।
14. समिति का पंजीयन एवं समिति के सदस्यों की सूची व बॉयलाज
15. जमीन की रजिस्ट्री/लीज डीड/TNCP/Diversion व स्थानीय निकाय की अनुमति
16. भूमि का शहरी अथवा ग्रामीण (Urban or Rural) होने का प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित)
17. भवन का नक्शा, फ्लोर प्लॉन एवं फोटो
18. ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी।
19. प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी।
20. खेल मैदान की जानकारी।
21. ऑडिट रिपोर्ट।

नोटः– महाविद्यालय जमा किए जाने वाले उपरोक्त सत्यापित दस्तावेजों की Scanned Pdf (बिन्दुवार Pdf Files) संस्था की आधिकारिक ईमेल–आई.डी. से academic.section.davv@gmail.com पर ईमेल भी करें।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र–1

(महाविद्यालयों की वार्षिक जानकारी)

(1) महाविद्यालय का नाम .....

प्लॉट नं..... खसरा नं.....सर्वे नं.....ग्राम व पोस्ट.....

तहसील.....जिला.....पिन कोड नं.....

आधिकारिक ई–मेल आई डी.....

महाविद्यालय के संचालक/समिति सचिव का फोन नं. .....

(2) प्राचार्य/निदेशक नाम .....मो.नं.....

ई–मेल आई डी.....

कोड–28 (हॉ/नहीं).....हॉ तो नियुक्ति दिनांक.....

(3) अशासकीय महाविद्यालय है तो संस्थापक समिति का नाम व पता.....

.....

समिति के पंजीकरण का दिनांक एवं क्रमांक.....

उक्त समिति द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालयः–

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो उनका नाम व पता).....

(1).....

(2).....

(4) महाविद्यालय का स्थापना वर्षः–.....

(5) को–एड..... युजी/पीजी.....

(6) ऑटोनॉमस स्टेटसः–.....

क्रं.	जिन विषयों में स्वशासी दर्जा हैः–	अवधि
1.		
2.		

(7). नेक ग्रेड व अवधी.....

(8). महाविद्यालय के भवन की स्थिति (स्वयं/किराऐ) .....

(9). एन्डोमेन्ट फण्ड की राशी.....मैच्योरिटी दिनांक.....

(10). महाविद्यालय में कौन–कौन से संकाय संचालित हैः–

(विधि, प्रबन्ध, एज्युकेशन,विज्ञान, कला, वाणिज्य, समाजविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, इंजीनियरिंग साईसेंस व अन्य)

1. .....
2. .....

(11). महाविद्यालय में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम (समूहवार)	सीट संख्या	स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता	पाठ्यक्रम शुरू होने का वर्ष
1.				
2.				
3.				

(12). पीएच.डी. रिसर्च सेन्टरः–

क्रं.	शोध विषय	रिसर्च सेन्टर शुरू होने का वर्ष
1.		
2.		
3.		

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर प्राचार्य एवं सील

हस्ताक्षर अध्यक्ष/सचिव
संस्थापक समिति एवं सील
(अशासकीय महाविद्यालय के लिए)

नोटः–

1. उपरोक्त जानकारी के आवश्यक दस्तावेज संस्था के सचिव द्वारा सत्यापित कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त सत्यापित प्रपत्र की **Scanned Pdf** एवं **Word File (in Kruti Dev 010 Font) academic.section.davv@gmail.com** पर अनिवार्यतः अंतिम तिथि से पूर्वई–मेल करें।
2. जानकारी भरने हेतु उक्त प्रपत्र–1 की **Word File** विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

//समिति अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 1000/– रूपये के नॉनज्युडिशियल नोटराईज्ड शपथ–पत्र का प्रारूप//

1. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ :–

   मेरा नाम :–

   पिता का नाम :–

   निवासी :–

   पद :–

   उम्र :–

   संस्था/ महा. का नाम :–

2. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि.....(समिति का नाम) द्वारा संचालित.....(महाविद्यालय का नाम) द्वारा सत्र 2026–27 के विधि पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता/नवीनीकरण पत्र में उल्लेखित कमियों एवं शर्तो की पूर्ति कर दी गई है, तथा कमियों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. महाविद्यालय मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026–27 हेतु जारी निरंतरता अनुमति में उल्लेखित शर्तो का पूर्ण पालन करता है।
4. महाविद्यालय बी.सी.आई., नई दिल्ली द्वारा जारी अनुमतियों में उल्लेखित शर्तो एवं नीति निर्देशों का पूर्ण पालन करता है।
5. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि महाविद्यालय में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड–28 के मापदण्डों के अनुसार की गई है।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परीनियम क्रमांक–27 एवं 28 का पूर्ण पालन किया जा रहा है।

स्थानः–

दिनांकः

शपथ ग्रहिता

(सील/हस्ताक्षर)

//सत्यापन//

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि बिन्दु क्रमांक 01 से 06 तक की दी गई जानकारी सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाले कार्यवाही मान्य होगी।

स्थानः–

दिनांकः

शपथग्रहिता

(सील/हस्ताक्षर)